न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 52 /2018 जिला सीकर ।

जगदीश पुत्र नत्थू जाति मेघवंशी, निवासी भैरूपुरा, तहसील लक्षमणगढ, जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

भूमिधारक जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर
दिनांक 25.5.2018

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री हरलाल सिंह
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक –11.11.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 25.5.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 31.8.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ. /17/642 दिनांक 9.4.2018 द्वारा पटवार मण्डल राजपुर, राजस्व ग्रम भैरूपुरा स्थित आराजी खाता संख्या 32, खसरा संख्या 437 रकबा 0.04 हैक्टेयर (132 मी. x 3 मीटर) मौके पर रास्ता काफी वर्षों से चलना बताते हुए उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में दर्ज करने हेतु अनुशंषा मय प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ को प्रेषित किया गया ।

तहसीलदार लक्ष्मणगढ के उक्त प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2018 पारित किया कि " राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांकः प. 43 (2)राज–6/2003/ पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 द्वारा दिये गये निर्देश की

पालना में तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा कृषि भूमि पर चल रहे / बने रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने हेतु भिजवाये गये प्रस्ताव पत्रांक भू.अ. /17/642 दिनांक 9.4.2018 अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानानुसार मुताबिक ग्रम भैंरूपुरा पटवार हल्का राजपुर तहसील लक्ष्मणगढ जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 32 खसरा सं. 437 में रास्ते हेतु 0.04 हैक्टेयर (134 मीटर x 3 मीटर) उक्त खाते में कुल रास्ते हेतु कुल रकबा 0.02 हैक्टेयर दर्ज होकर लम्बाई 134 मीटर व चौडाई 3 मीटर का अंकन संबंधित खातेदार के खाते में राजस्व रिकार्ड में पृथक नम्बर दिय जाकर रकबे सहित गैर मुमकिन रास्ते कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने व तदनुसार ही नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । रिपोर्ट तहसीलदार मय नजरी नक्शा निर्णय के विभिन्न अंग रहेंगे । पालनार्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को लिखा जावे "।

उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के उक्त निर्णय दिनांक 25.5.2018 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं होने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 437 का काबिज खातेदार काश्तकार राजस्व अभिलेख में अभिलिखित होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति था जिसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि तहसीलदार द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत की थी वह भी किसी विधिक आधार पर आधारित नहीं थी बल्कि राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट बनाई थी तथा राजनैतिक व्यक्ति ने अपने प्रभाव का उपयोग कर अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश पारित कराया है । उनका कहना था कि मौके पर विवादित भूमि पर कभी कोई रास्ता नहीं रहा तथा नहीं वर्तमान में कोई रास्ता कायम है । अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.8.2016 का अंकन करते हुये रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उक्त परिपत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुए, नया रास्ता कायम करदें । उक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया है जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये व बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसका ज्ञान उसे समय पर नहीं हो सका एवं ज्ञान होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे एवं प्रकरण के गुणावगुण एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में लचीला रूख अपनाकर एवं अपीलान्ट विवादित भूमि का खातेदार होने से हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति होने से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला सीकर की अभिशंषा पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 437 में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2018 उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने पारित किया गया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 437 में से 0.04 हैक्टेयर भूमि में अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर बिये बिना ही गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया है। अपीलान्ट आराजी खसरा नम्बर 437 का रेकार्डेड खातेदार होने से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है जिसे बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही उसके अधिकारों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित व हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया है जो उचित एवं विधिक नहीं होने से अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 437 रकबा 0.04 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 25.5.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम भैंरूपुरा खसरा नम्बर 437 रकबा 0.04 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाकर उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परीपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 25.5.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि राजस्व ग्रम भैरूपुरा खसरा नम्बर 437 रकबा 0.04 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है एवं उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परीपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 11.11.2019 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर